



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2316/2026

डॉ. शकील अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: गणेश मणि

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश मणि और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 31.12.2010 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 02.02.2026 को पारित विवादित आदेश के आधार पर 19.01.2013 को उसकी सेवाएं स्थायी कर दी गई थीं। रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पलहनी, आजमगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बधिया, आजमगढ़ कर दिया गया है।
4. इसी को चुनौती देते हुए, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि उक्त स्थानांतरण आदेश सत्ताधारी दल के एक सदस्य के निर्देश और सिफारिश पर पारित किया गया है, जिसमें यह आरोप "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लगाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता 9 वर्ष से अधिक की अवधि से उस केंद्र में कार्यरत है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्थानान्तरण के मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है; विशेष रूप से, स्थानान्तरण किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि स्थिति चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता एक स्थानान्तरणीय पद धारण करता है और उसका स्थानान्तरण जिले से बाहर नहीं, बल्कि जिले के भीतर ही एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर किया जा रहा है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

8. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता का तबादला एक केंद्र से दूसरे केंद्र में कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जब यह सीधा सवाल पूछा गया कि क्या रिट याचिकाकर्ता के पास तबादला होने लायक पद है या नहीं, तो जवाब मिला कि रिट याचिकाकर्ता के पास तबादला होने लायक पद है।

9. रिट याचिकाकर्ता इस बात से इनकार नहीं करता कि वह लगभग 9 सालों से उस केंद्र में है। जिस तबादला आदेश को चुनौती दी गई है, वह न तो दंडात्मक है और न ही उसे सज़ा के तौर पर दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि सत्ताधारी पार्टी के किसी सदस्य की ओर से कोई संदेश आया था, इस तबादले को दंडात्मक नहीं कहा जा सकता है।

10. इसके अलावा, रिट याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तबादला आदेश उस अधिकारी ने जारी किया है, जो रिट याचिकाकर्ता का तबादला करने के लिए अधिकृत है।

11. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत इस मामले को दखल देने लायक नहीं मानती है। हालाँकि, अगर रिट याचिकाकर्ता तबादले वाली जगह पर कार्यभार संभाल लेता है, तो उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रत्यर्थियों के सामने अपनी बात रखे; और अगर वह ऐसा कोई आवेदन करता है, तो उस पर पूरी तरह से कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

12. तदनुसार, रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”